



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 21552 वर्ष 2026

शेर बहादुर @ शेरू यादव

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता

:

राज किशोर मिश्रा

प्रतिवादी के अधिवक्ता

:

शासकीय अधिवक्ता(जी.ए.)

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना।
2. वर्तमान जमानत प्रार्थना-पत्र वाद अपराध संख्या-303 वर्ष 2026, एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धाराओं 8/20, 27(ए) (ख), 29, 60, थाना रॉबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र के अंतर्गत आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक निर्दोष है तथा उसे वर्तमान प्रकरण में मिथ्या रूप से फँसाया गया है। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों के अनुसार एक वाहन, जिसे आवेदक चला रहा था, से 51.785 किलोग्राम गांजा बरामद होना दर्शाया गया है तथा अन्य सह-अभियुक्त व्यक्ति वाहन की पिछली सीट पर बैठे पाए गए थे। यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक के सचेत कब्जे से कोई भी वस्तु बरामद नहीं हुई है। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि सह-अभियुक्त प्रतीक चौबे @ डम्पी एवं राज दुबे @ मोहित को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा क्रमशः आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या-17226 वर्ष 2026 तथा 17784 वर्ष 2026 में पारित आदेश दिनांक 20.05.2026 एवं

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



29.05.2026 के माध्यम से जमानत प्रदान की जा चुकी है। यह तर्क दिया गया कि पुलिस द्वारा जानबूझकर बरामदगी की मात्रा को अत्यधिक बढ़ा-चढ़ाकर दर्शाया गया है, ताकि अपराध की गंभीरता को बढ़ाया जा सके। बरामदगी के संबंध में अभियोजन की कहानी की सत्यता को चुनौती देते हुए अन्य तर्क भी प्रस्तुत किए गए हैं। आगे यह तर्क दिया गया कि एन.डी.पी.एस. अधिनियम, 1985 के वैधानिक प्रावधानों का अक्षरशः एवं वास्तविक भावना के अनुरूप पालन नहीं किया गया है, जिसके कारण कथित बरामदगी की विधिक मान्यता प्रभावित हो जाती है। विद्वान अधिवक्ता ने आवेदक को मिथ्या रूप से फँसाए जाने की परिस्थितियों को भी प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत तर्कों के दौरान अभियोजन के पीछे दुर्भावना होने का भी आरोप लगाया गया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक दिनांक 18.04.2026 से कारागार में निरुद्ध है तथा उसका कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है।

4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक को जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध करते हुए प्रस्तुत किया कि अपराध में आवेदक की संलिप्तता के संबंध में उसके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं, अतः वह जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी नहीं है।

5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्कों, आरोपों की प्रकृति, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों, आवेदक द्वारा भुगती गई कारावास की अवधि, उसके किसी आपराधिक पूर्ववृत्त के अभाव तथा वाद के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना, इस न्यायालय का यह मत है कि आवेदक ने जमानत प्रदान किए जाने हेतु प्रथम दृष्टया आधार प्रस्तुत किया है।

6. तदनुसार, जमानत प्रार्थना-पत्र **स्वीकार** किया जाता है।

7. आदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त वाद अपराध में संलिप्त आवेदक—**शेर बहादुर @ शेरू यादव** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान धनराशि के दो जमानतदारों तथा एक व्यक्तिगत



बंधपत्र प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी किए जाने से पूर्व जमानतदारों का सत्यापन कर लिया जाए।

(i) आवेदक इस आशय का एक प्रतिज्ञापत्र प्रस्तुत करेगा कि जिस तिथि को साक्ष्य हेतु वाद नियत हो और गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, उस तिथि पर वह किसी प्रकार का स्थगन प्राप्त करने का अनुरोध नहीं करेगा। यदि इस शर्त का उल्लंघन किया जाता है, तो विचारण न्यायालय के लिए यह स्वतंत्र होगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए विधि के अनुसार आदेश पारित करे।

(ii) आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तिथि पर स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। यदि वह बिना पर्याप्त कारण के अनुपस्थित रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध बी.एन.एस. की धारा 229-ए / बी.एन.एस. की धारा 269 के अंतर्गत कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(iii) यदि विचारण के दौरान आवेदक जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है तथा उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 / बी.एन.एस.एस. की धारा 84 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है और यदि आवेदक उक्त उद्घोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 174-ए / बी.एन.एस. की धारा 209 के अंतर्गत विधि के अनुसार कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

(iv) आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा निम्नलिखित कार्यवाहियों हेतु नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा— (1) वाद के उद्घाटन (2) आरोप विरचित किए जाने तथा (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत कथन अभिलिखित किए जाने हेतु। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर अथवा बिना पर्याप्त कारण के है, तो विचारण न्यायालय के लिए यह स्वतंत्र होगा कि वह ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए उसके विरुद्ध विधि के अनुसार कार्यवाही करे।



8. उपर्युक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में, यह जमानत निरस्त किए जाने का आधार होगा।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत प्रदान किए जाने के समय की गई टिप्पणियों का साक्षियों के साक्ष्य के आधार पर अपना स्वतंत्र मत निर्मित करने में विद्वान विचारण न्यायाधीश पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

24 जून, 2026

कीर्ति